20रु. Rs.20 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

471

नि0 – 3055 – I – 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

1– जानकी पुत्र श्री कल्ला पाल
2– फूलाबाई बेवा श्री कल्ला पाल
3– विनोद पुत्र श्री जानकी लाल
4– प्रमोद पुत्र श्री जानकी लाल
निवासीगण–ग्राम धमना तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– दरबारी पुत्र श्री बारेलाल पाल
2– परमाल पुत्र श्री खिल्लू पाल
3– मुन्नीलाल पुत्र श्री सिवाई पाल
4– शोभादास पुत्र श्री सियाई पाल
5– घनश्याम पुत्र श्री सियाई पाल
6– कौशल पुत्र श्री दरबारीलाल
7– जितेन्द्र पुत्र श्री दरबारीलाल
8– गोविन्ददास पुत्र श्री दरबारीलाल
9– विनोद पुत्र श्री दरबारीलाल
10– प्रेमवती बेवा बहादुर पाल
निवासीगण – ग्राम धमना तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.08.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, भूमि खसरा नं. 746, 747, 749, 756, 939, 940, 942, 1088, 1089, 1090, 1092 किता 13 एकत्र रकवा 2.091 है0 का खाता राजस्व अभिलेखों में आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम से था और वह सामिल खातेदार के बतौर भूमि स्वामी अभिलेख में दर्ज थे।

2– यहकि, उपरोक्त भूमि का विभाजन सहमति के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से किया गया ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश अपील योग्य आदेश नहीं था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3055-एक/2016 जिला छतरपुर जानकी विरूद्ध दरबारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 43/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के.जैन) 25/01/19 सदस्य	